ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201301, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक : स्वा0वि0 / 2024 / 1069 दिनाँक : 13/09 /2024

कार्यालय आदेश (सिस्टम)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के सामुदायिक / पालतू श्वान / बिल्लियों हेतु प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 15.06.2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में पुनरीक्षित नीति को निम्नानुसार लागू की जाती है:–

प्रायः देखने में आया है कि नितरोज सामुदायिक / पालतू श्वान / बिल्लियों के खाना खिलाने के स्थान (Feeding Point) / सार्वजनिक स्थानों पर घूमने / शौच करने / भौकने / लिफ्ट में ले जाने / पार्क में घुमाने / काटने / आक्रामक होने / स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सिनेशन / पंजीकरण / जनसंख्या वृद्धि इत्यादि घटनाओं के सम्बन्ध में आमजन मानस / समाचार पत्र / सोशल मीडिया / ई–मेल एवं अन्य माध्यमों से शिकायतें प्रकाश में आती रहती हैं। सामुदायिक जीवों से सम्बन्धित शिकायतों / घटनाओं में कमी लाये जाने एवं लोगों के आपसी मदभेदों के निदान के परिपेक्ष्य में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पूर्व में 128वीं बोर्ड बैठक, दिनांकः 28.12.2023 में अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश पत्रांकः स्वा0वि0 / का0आ0 / 2023 / 19, दिनांक 04.01.2023 के माध्यम से नीति लागू की गयी थी।

उक्त के उपरान्त Pet Policy के सम्बन्ध में आम जनमानस और पशु प्रेमियों से सुझाव / आपत्तियां आने लगी। तदक्रम में कार्यालय पत्र संख्या–स्वा0वि0 / 2023 / 1214, दिनॉक 25.10.2023 के माध्यम से गूगल फार्म पर आम लोगों से सुझाव / आपत्तियॉ मांगी गयी थी, जिनके अध्ययनोपरान्त नीति को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तदक्रम में निम्नानुसार पुनरीक्षित नीति को 135वीं बोर्ड बैठक, दि0 15.06.2024 में अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(क) सामुदायिक श्वान / बिल्लियों से सम्बन्धित नीतिः–

1. समस्त नागरिकों / संस्थाओं इत्यादि द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) से जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
2. ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में RWA/AOA/CGHS आदि द्वारा सामुदायिक श्वानों का स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सीनेशन कार्य प्राधिकरण द्वारा चयनित संस्था के माध्मय से कराया जायेगा।
3. **Sterilization & Anti Rabies Vaccination: -**

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा सभी सामुदायिक श्वानों की नसबन्दी की व्यवस्था की गई है। नसबन्दी के साथ ही एंटी रैबीज का टीका भी अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा। चयनित एन.जी.ओ. / संस्था द्वारा ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में ग्राम / सेक्टर / सोसायटी का रोस्टर बनाकर सामुदायिक श्वानों का स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सिनेशन का कार्य किया जायेगा। ये एजेन्सी जिस ग्राम / सेक्टर / सोसायटी में जाएंगी वहां नसबन्दी का कार्य पूर्ण करने व सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अगले ग्राम / सेक्टर / सोसायटी में जाएंगी। ग्रामों में यह प्रमाण पत्र वहां के पांच गणमान्य निवासियों से लिया जाएगा। टीकाकरण का पूर्ण रिकार्ड ग्राम / आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / एवं कार्यकारी संस्था द्वारा रखा जायेगा व प्राधिकरण को भी समय–समय पर सूचित किया जायेगा। ग्राम / आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 द्वारा एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही एंटी रैबीज के लिए प्राधिकरण की नामित एजेन्सी को सूचित करना होगा। कार्यरत एजेंसी को श्वानों के

Sterilization एवं वैक्सिनेशन का भुगतान सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 /सम्मानित ग्रामवासियों से सत्यापन/प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

4. Shelter Home:-

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा बीमार/घायल श्वानों के ईलाज एवं निगरानी के लिए शैल्टर/क्लीनिक स्थापित किया जायेगा, जिसके Public Private Partnership (PPP) अथवा एन.जी.ओ. के माध्यम से चलाया जायेगा तथा भूमि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंम्बर जारी किया जायेगा, जिस पर निवासियों द्वारा श्वानों के दुर्घटनाग्रस्त/बीमार एवं श्वान द्वारा किसी व्यक्ति को चोट/हानि पहुँचाने इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना दी जा सकेगी। तदानुसार प्राधिकरण द्वारा चयनित संस्था/एन.जी.ओ. के माध्यम से शैल्टर होम में इन श्वानों को ले जाने की कार्यवाही की जायेगी। उनके व्यवहार/अवस्था में सकारात्मक परिवर्तन होने पर उन्हें वापस अपने स्थान पर छोडा जायेगा।

5. Feeding Point:-

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) क्लॉज सं0:–20 के अनुसार फीडिंग्स पाईन्टस का निर्धारण फीडर्स व आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों द्वारा समन्वय स्थापित कर ऐसे स्थान पर बनाने होंगे जहॉ बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के आने की कम से कम सम्भावना हो। जहॉ पर उनके द्वारा यह बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा कि **"सामुदायिक श्वान को भोजन इसी स्थल पर ही खिलाएं।"** खाने एवं पानी की व्यवस्था फीडर/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा ही की जाएगी। फीडर यह सुनिश्चित करेगा कि फीडिंग स्थान पर कोई गन्दगी न हो।

(ख) पालतू श्वान/पालतू बिल्लियों इत्यादि से सम्बन्धित नीतिः–

(A) Registration: -

पालतू श्वान/बिल्लियों के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार नियम एवं शर्तों को निर्धारण की जानी हैः–

1. सभी पालतू श्वान/बिल्लियों के मालिकों को अपने श्वान/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए Pet का वैध टीकाकरण/स्टेरिलाईजेशन प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
2. रजिस्ट्रेशन हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा App / Web Interface विकसित किया जायेगा
3. स्टेरिलाईज्ड/वैक्सिनेटेड पालतू श्वान/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के एप पर निःशुल्क होगा।
4. रजिस्ट्रेशन का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5. Pet Dog/Cat के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नोडल प्राधिकारी (Pet Policy), ग्रेटर नोएडा/लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा रजिस्टर्ड पशुचिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण/स्टेरिलाईजेशन के प्रमाण–पत्र अपलोड होने के पश्चात ही किया जायेगा।
6. पालतू श्वान/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण न कराने पर पालतू श्वान/बिल्लियों के मालिक पर रू0 2,000/– प्रति श्वान/बिल्ली का जुर्माना देय होगा।

(B) Pet Owner Responsibility:-

(क) कोई भी Pet मालिक अपने Pet Dogs/Cats इत्यादि को किसी सार्वजनिक स्थान यथा–गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस–पास खुला नहीं छोड़ेगा एवं अपने Pet को पार्क में ले जाने पर

हमेशा चैन/लीश (पट्टा) में बांधकर मालिक के साथ में वयस्क सदस्य पार्क में कम भीड़–भाड़ वाले स्थान अथवा कम भीड़–भाड़ के समय में टहलायेंगे। बडे साईज के श्वान के लिए हार्डनेश लीश का उपयोग करेंगे। Pet मालिक अपने श्वान/बिल्ली को सड़क, पार्क एवं गली में गंदगी/शौच नहीं करायेंगे, उसके मल को उठाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगें।

(ख) पालतू श्वान का मालिक लिफ्ट/सार्वजनिक स्थानों पर अपने पालतू श्वान का अत्यन्त सावधानी पूर्वक आवागमन सुनिश्चित करेगा, जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति या जानवर को जोखिम उत्पन्न न हो। लिफ्ट में Pet को ले जाने के लिए सोसाईटी में यथासम्भव सर्विस लिफ्ट का उपयोग किया जाये अथवा Passanger Lift के उपयोग की स्थिति में First come first serve की नीति का पालन किया जाये। सहजता की स्थिति में ही अन्य व्यक्ति अथवा Pet को लिफ्ट इत्यादि में साथ जाने की अनमुति हो। लिफ्ट में ले जाते समय चैन/लीश का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि कोई पालतू श्वान द्वारा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि/चोट पहुँचाई जाती है, तो ऐसी अप्रिय घटना की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता (BNS/IPC) के नियमों के अनुसार पुलिस/प्रशासन द्वारा निरीक्षण/जॉचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

(घ) यदि कोई पालतू श्वान सामुदायिक/पालतू श्वान पर हमला करता है तो सामुदायिक/पालतू श्वान का उपचार चोट/हानि पहुँचाने वाले पालतू श्वान के मालिक द्वारा ही कराया जायेगा।

(ङ) पालतू श्वान/बिल्ली का मालिक बिना किसी पूर्व सूचना के प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा परिसर/भवन का निरीक्षण करने में प्रतिबंध/बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

(च) सामुदायिक/पालतू श्वान/बिल्ली पर क्रूरता की शिकायत के मामले में शिकायत का निरीक्षण/जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(C) RWA/AoA/Village Responsibility: -

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की नीति के अतिरिक्त आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/गांव कोई भी अन्य प्रतिबन्ध/नियम नहीं लगा सकते है।

(D) General Conditions: -

(i) Community dogs are protected under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and Rules enacted under Section 38 of the Act, particularly, the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2023 के नियमानुसार सामुदायिक श्वान को उसके स्थान से हटाया जाना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के विरूद्ध है। किसी भी प्रकार की कूरता की स्थिति में सूचना/साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही ही जायेगी।

(ii) आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 में कुत्तों के व्यवहार/संपर्क कैसे करें, इसकी जागरूकता हेतु नोटिस लगाए जायेंगे। जागरूकता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा मानवता दिखाते हुए सुरक्षात्मक सामग्री दी जाए और ऐसी कोई सामग्री हटायी न जाये, विशेषकर सर्दियों में।

(iv) दिनांक 23.05.2017 को जारी नोटिफिकेशन में निहित Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding & Marketing) Rule, 2016 के तहत ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में अपंजीकृत प्रजनन (Breeding) सेन्टर का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

(v) सामुदायिक श्वानों/पालतू श्वानों/पालतू बिल्लियों इत्यादि के संबन्ध में यदि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में आमजन मानस से किसी प्रकार का सुझाव/आपत्तियॉ प्राप्त होती है तो उन्हें सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त समावेशित किया जायेगा।

(vi) भविष्य में यदि कोई गाईड लाईन/नीति/शर्त/नियम/सुझाव इत्यादि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI), भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से प्राप्त होती है, तो उसके अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण परिक्षेत्र में नितरोज सामुदायिक/पालतू श्वान/बिल्लियों के खाना खिलाने के स्थान (Feeding Point)/सार्वजनिक स्थानों पर घूमने/शौच करने/भौकने/लिफ्ट में ले जाने/पार्क में घुमाने/काटने/आक्रामक होने/ स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सिनेशन/पंजीकरण/ जनसंख्या वृद्धि इत्यादि घटनाओं परिपेक्ष्य में सामुदायिक व पालतू श्वानों/बिल्लियों हेतु नीति लागू की जाती है।

उपरोक्त सामुदायिक/पालतू श्वान/बिल्लियों (Dog/Cat Policy) के संबंधी नीति प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 15.06.2024 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की जा रही है।

(आर.के. भारती)
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)

प्रतिलिपिः—

- स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निजी सचिव को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.एल./पी.) महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी/प्र0 महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य) को सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ प्रेषित।
- वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उद्यान, स्वास्थ्य जल, सीवर, वि0यां.—1, 2, 3 को सूचनार्थ।
- प्रभारी (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जान हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाईल।

12/9/24

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)